>

Title : Discussion on the motion for consideration of the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2009 as passed by Rajya Sabha.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to move:*

> "That the Bill to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री कपिल सिब्बल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के सामने दो-चार बातें रखना चाहता हूं। 1947 में जब हम आजाद हुए, उस समय हिन्दुस्तान में शिक्षित लोगों की संख्या 14 प्रतिशत थी और हमारे देश की आबादी लगभग 30 करोड़ थी। यदि महिलाओं की शिक्षा पर गौर किया जाए, तो उस समय 7 प्रतिशत से भी नीचे महिलाएं शिक्षित थीं। इस प्रकार देखें, तो 30 करोड़ की आबादी में से केवल 4 करोड़ लोग शिक्षित थे।

महोदय, अब हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। शिक्षा के मामले में आज जो स्थिति है, यदि उसे देखें, तो वर्ष 2001 की सैंसस के अनुसार लगभग 64.8 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। इसका मतलब है कि देश में 60-65 करोड़ लोग शिक्षित हैं, अर्थात् 1947 में जहां 4 करोड़ लोग शिक्षित थे, वहां आज 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग शिक्षित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह जो उड़ान रही, यह कोई छोटी-मोटी उड़ान नहीं थी।

महोदय, लोक तंत्र में सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों को शिक्षित करे। इसमें प्राइवेट सैक्टर की भी भागीदारी होनी चाहिए। प्राइवेट सैक्टर की शिक्षा के क्षेत्र में जो भागीदारी हुई, वह पिछले कुछ ही वर्षों से हुई है और अब उसमें गति देखने को मिल रही है।

महोदय, जहां तक महिलाओं का सवाल है, आज हिन्दुस्तान में जो महिलाएं हैं, वे हमारे देश की आबादी का लगभग 54 प्रतिशत शिक्षित हैं। इसका मतलब है कि आज यदि हम अपने देश की आबादी 100 करोड़ मान लें और उसमें कुल 65 करोड़ लोग शिक्षित हों, तो 65 करोड़ में से 54 प्रतिशत, यानी 30 करोड़ से भी अधिक महिलाएं शिक्षित हैं। आज की तुलना में आजादी के समय बहुत कम संख्या में महिलाएं शिक्षित थीं। The point that I was trying to make is that we have travelled, though we have not travelled far enough, and the real problem in our country today is not only the fact that only 64 per cent are educated. I am talking about this based on the 2001 census. The new census of 2011 will, perhaps, show a jump of more than 10 per cent because if you look at the 1991 census, the jump was almost 14 per cent. So, by the time we get the 2011 figures, hopefully the national average will be more than 74 to 75 per cent. So, we cannot possibly be satisfied with these numbers. We must ensure that all children in our country get education of an appropriate quality because today it is not a question of knowing how to read and write. It is the question ultimately of using your educational skills or the skills that you develop in the course of your education to compete with the rest of the world and to get jobs and opportunities in employment.

So, we thought and the UPA Government was always committed to the fact that we must bring about a Bill in which we provide for free and compulsory education for children between the age of 6 and 14.

इसको भी बड़ा वक्त लगा। कोई ऐसी बात नहीं कि यह जल्दी हुआ। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि 1993 में उन्नीकृष्णन का जजमेंट हुआ। उसके अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि बच्चों का एक मानवाधिकार है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिनकी उम्र 6 और 14 वर्ष के बीच की है। यह पहले डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ था। यह सरकार का एक कर्तव्य भी था, लेकिन 1993 के बाद इतना अर्सा लगा, फिर 2001 में कांस्टीटयूशनल एमेंडमेंट आया। उस समय एन.डी.ए. की सरकार थी। उस समय आर्टीकल 21(ए) सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ। लेकिन आर्टीकल 21(ए) में यह लिखा था कि यह जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की बात है, यहां एक विधेयक लाना पड़ेगा, जब तक विधेयक नहीं आएगा तो उस आर्टीकल 21(ए) का कोई मायना नहीं था, क्योंकि यह लिखित में कांस्टीटयूशन में बात थी, लेकिन वह कंडीशनल थी और वह 2001 में हुआ। आज 2009 हो गया। कहने का मतलब है कि उसको भी आठ साल लगे। उस प्रयास को भी आठ साल लगे, मतलब कि 16 साल के बाद आज मैं आपके बीच खड़ा हूं और लोग आज भी कहते हैं कि साहब, इसमें यह करो, इसमें वह करो। यह जो विधेयक हम लाये हैं, यह अपने आपमें एक ऐतिहासिक कदम है।

I do believe that this will receive the support of every political Party in this House, every hon. Member of this House because this has nothing to do with politics. Education is something which is integrated with the future of this country. In the 21st

century the assets that are most valuable are not physical assets but intellectual assets. The creativity of the human mind provides that intellectual asset which forms the wealth of the country. Any impediment in the creation of that wealth, I believe, is anti-national. We must do everything at the level of the Central Government and the State Governments to move forward as quickly as possible, to ensure that we create an environment in which children between 6 to 14 get quality education. स्टेट्स में होता क्या था कि लोग स्कूल तो बनाते थे, लेकिन अध्यापक ही नहीं पहुंचते थे। एक कमरे में एक ही टीचर होता है, कई बार तो स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं होती है और कई ऐसी प्राइवेट संस्थाएं आज के दिन भी प्रदेशों में हैं, जहां न कोई इफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है और अगर है तो अध्यापक की व्यवस्था नहीं है। आज के दिन अगर आप किसी देहात के स्कूल में चले जाओ और पांचवीं क्लास के लड़के को पूछो कि तू यह किताब पढ़ तो लगेगा कि जो दूसरी क्लास का लड़का है, उतनी ही उसको नोलिज है। न वह पढ़ सकता है, न वह ठीक तरह से अर्थमैटिक कर सकता है। यह ऐसा ही चलता है, यह जो एटीटयूड है, वह नहीं चलेगा।

It is with this in mind that the UPA Government considered - I thank the hon. Prime Minister of India and I thank Mrs. Gandhi - that this was, as far as we are concerned, a matter of national importance and I thank them both for carrying this agenda forward and here I stand today before you for the passing of this Bill in this House.

I will just mention two-three things. This Bill is not just about getting children to school. This is a Bill which talks about providing quality education.

क्योंकि, इसको शैडयूल में अगर आप देखोगे तो वहां फिजिकल इफ्रास्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, जो टीचर प्युपिल रेश्यो है, वह कितना होना चाहिए और साथ-साथ इसमें यह भी भावना है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और उनके पास एडीक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं है, जो हम तय करेंगे, जो एकेडमिक काउंसिल बनेगी, वह तय करेगी, एलीमेंटरी एजुकेशन के लिए तो पांच साल के अन्दर उसको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी।

पांच साल के अंदर उसको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। जो पढ़ाने वाले हैं, उनके पास एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। अगर किसी स्कूल के पास जो इफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वह शेडयूल के अंतर्गत नहीं बना हुआ है, तो उसको तीन साल के अंदर इफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। अगर वह तीन साल में इफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, तो स्कूल की रिकग्नीशन को रद्द कर दिया जाएगा। ये सब प्रावधान यहां हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे देश में अगर शिक्षा की बात हो, तो एक यूनीफार्म क्वालिटी की शिक्षा देश के बच्चों को मिले। यह हमारी सोच है और इस विधेयक द्वारा इस सोच को हम आगे बढ़ा रहे हैं।

एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि this Bill is called Right of Children to Free and Compulsory Education Bill. What does this mean? It means that it is free for the children and compulsory for the State. It is very important to understand that. A child between the age of 6 years and 14 years is entitled as of right, and now it is a constitutional right, to receive that education free of cost and it is an obligation and a compulsion on the Government, both the State Government and the Central Government, to provide that education to that child. The compulsion is not with the parents, it is with the State. This distinction ought to be fully appreciated.

जब तक राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार तालमेल के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक जो सपना हम साकार करना चाहते है, वह साकार नहीं होगा। इसमें एक साझेदारी की जरूरत है, एक भागीदारी की जरूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि आपको इस विधेयक में नेबरहुड स्कूल की डेफिनीशन देनी चाहिए थी। हमने उसे जान-बूझकर नहीं दिया, क्योंकि राज्य सरकार को तय करना चाहिए कि किस आबादी में स्कूल होना चाहिए, कितनी दूरी में आबादी से होनी चाहिए? अगर दो-चार आबादियां हैं, तो स्कूल कहां होना चाहिए, अगर ट्राइबल एरिया है, तो कहां होना चाहिए, अगर हिल एरिया है, तो कहां होना चाहिए? यह निर्णय राज्य सरकार को लेना है। यह निर्णय केंद्र सरकार को नहीं लेना है, क्योंकि राज्य सरकारों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह तय करे कि उनकी लोकल कम्युनिटीज में कहां स्कूल होना चाहिए? आपको जल्दी से जल्दी स्टेट में एन्टिटी को नियुक्त करना पड़ेगा, जो रिकग्नीशन एन्टिटी होगी, क्योंकि हर प्रदेश के स्कूल को रिकग्नीशन लाजिमी है। रिकग्नीशन तभी दी जाएगी, जब ये प्रावधान जो इस विधेयक के माध्यम से हमने आपके सामने रखे हैं, वह उसे पूरा करेगा, अन्यथा रिकग्नीशन नहीं दी जाएगी। आप तय कीजिए और जल्द से जल्द तय कीजिए कि कहां स्कूल शुरू होना है? यह प्रोग्राम आप अभी बनाना शुरू कर दीजिए, जैसे ही यह बिल पारित होगा, इसके बाद सैक्शन 7 के अंतर्गत हम तय करेंगे कि केंद्र सरकार कितना खर्च करेगी और राज्य सरकारें कितना खर्च करेंगी?

आपको मालूम है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भागीदारी थी, उसमें पचास प्रतिशत भागीदारी स्टेट की होनी चाहिए थी और पचास प्रतिशत भागीदारी केंद्र की होनी चाहिए थी। आज के दिन 65 प्रतिशत भागीदारी केंद्र सरकार की है और 35 प्रतिशत राज्य सरकारों की है। वह कितनी होगी, उसे हम तय करेंगे। कितनी ग्रांट्स इन ऐड द्वारा स्टेट को देंगे, इस विधेयक के अंतर्गत वह हम तय करेंगे। कितना राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, वह भी हम तय करेंगे। जहां हमें लगेगा कि किसी राज्य सरकार को कोई मुश्किल है, कोई प्राब्लम है तो इस विधेयक में हमने वह भी प्रोवाइड किया है कि उसे हम फाइनैंस कमीशन के सामने रखेंगे। फाइनैंस कमीशन का टर्म नवंबर में खत्म होने वाला है, इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यह बात फाइनैंस कमीशन में जाना हो तो जाए, ताकि वह तय करे कि कहां से स्टेट अपना फाइनैंसेज प्रोवाइड करे, अगर उसमें कुछ कमी है, उसमें भी हम आपका साथ चाहते हैं, उसमें भी हम आपका सहयोग चाहते हैं।

एक तो क्वालिटी की बात हयी, दसरी फ्री एजकेशन की बात हयी, तीसरी स्टेट के कंपल्शन की बात हयी और चौथी बात, करिकलम

है, जो वह इस विधेयक से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, यह है to provide free education to children and a compulsion on the State. What is to be provided in the curriculum? उसे एक ऐकेडैमिक कमेटी डिसाइड करेगी और एक यूनीफार्म करिकुलम सारे स्कूलों में करना पड़ेगा। यह भी इसमें तय किया गया है। जो करिकुलम है, हमारे संविधान के अंतर्गत जो वैल्यूज़ हैं, उसी हिसाब से बनेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जो देश के संविधान को अलग रखे। इसे हम न मानेंगे और न चाहेंगे। यह बात भी इसमें उल्लिखित है। साथ ही इसमें इक्विटी की भी कई बातें हैं, जैसे हमने कहा है कि हिन्दुस्तान में चार किस्म के स्कूल हैं - एक, जो स्कूल सरकार बनाती है और हम जो बनाने जा रहे हैं, दूसरा, सरकारी एडेड स्कूल हैं, तीसरा, प्राइवेट स्कूल हैं और चौथा स्पैसीफाइड स्कूल हैं, जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल हैं। ये स्पैसीफाइड स्कूलों की कैटेगरी में आते हैं। हमने तय किया है कि जहां तक प्राइवेट स्कूलों की बात है, आज के दिन दिल्ली या हिन्दुस्तान में जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहा है, उसे 25 प्रतिशत नेबरहुड के लोग, जैसे ही यह बिल पारित होगा, जो डिसएडवांटेज सैक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसे क्लास वन में दाखिला देना पड़ेगा। यह इक्विटी की बात है, इंसाफ की बात है। जो डिसएडवांटेज लोग हैं, इकनौमिकली वीकर सैक्शन हैं, उनकी डैफिनेशन राज्य सरकार तय करेगी। हमने वह हक भी राज्य सरकार को दिया है ताकि वे जिन कम्युनिटीज़ को समझते हैं कि वे शिक्षा में पीछे रह गई हैं, उस हिसाब से वे उन्हें रिजर्वेशन दे सकें। हमने शिक्षा से संबंधित सारे मुद्दों के ऊपर गौर किया है और कोशिश की है कि उन्हें समाने रखते हुए हम इस अभियान को आगे बढ़ाएं।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई विधेयक और कोई भी नेशनल इंटरप्राइज़ अपने आप में कहे कि परफैक्ट है, कोई चीज परफैक्ट नहीं होती। आज की बहस से हम चाहेंगे कि आप हमें अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार हमारे सामने रखें और जैसे ही यह अभियान आगे बढ़ेगा, as we march along with our children into the 21st Century and provide them with the foundation of quality education, we will take on board your suggestions and we will move along together, with the State Government, to ensure that India rises to the level of our expectations. The world is looking upon India in the hope that we would meet out national aspirations, and provide our children with opportunities to move on to college and beyond. I am saying this because at the moment only 12 children -- out of every 100 children that pass out of school -- reach college. 88 बच्चे कॉलेज पहुंचते ही नहीं हैं। अगर 100 में से 88 बच्चे कॉलेज ही नहीं पहुंचे तो हम कैसा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं? 14 साल के बाद भी हम अधिनियम के अनुसार एक माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाना शुरू कर रहे हैं, ताकि वहां भी एक कम्पलसरी योजना बनाई जाए। उसके बारे में सोच-विचार हो रहा है, ताकि 18 साल तक बच्चे स्कूल जरूर जाएं so that we get a critical mass of young children who move into higher education. हम हायर एजूकेशन में रिफॉर्म लाने की जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आने वाले 15-20 वर्षों में हिन्दुस्तान को नॉलेज पावर बनाने जा रहे हैं और उसका पहला ठोस कदम यह विधेयक है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved:

> "That the Bill to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे कॉलेज से मेरे सीनियर हैं, इसलिए मैं इन्हें सर ही कहूंगा। सर, आपने कॉलेज में इतिहास पढ़ा और मैंने भी इतिहास ही पढ़ा है। ...(व्यवधान) I definitely welcome the move. शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस समय देश में दो चीजें बहुत अनिवार्य हैं और सोच का विषय बनी हुई हैं।

एक - जनसंख्या पर नियंत्रण, जिसके बारे में हमने स्वास्थ्य मंत्री से अभी सुना। उन्होंने कहा कि आप छः से बारह बजे तक टेलीविजन देखें, तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। दूसरा, जो बिल मूव किया गया है - राइट टू एजुकेशन बिल। मैं इस उद्देश्य का तो समर्थन करता हूं, लेकिन इसके स्वरूप से हमें काफी आपत्तियां हैं। आपने अपने भाषण में उन सारी आपत्तियों को खुद ही बोल दिया। आप सब जिम्मेवारी राज्य सरकारों को ही दे देंगे, तो राइट टू एजुकेशन बिल को आप स्टेट बिल बना दीजिए। इस बिल को केन्द्र से पास कराने की जरूरत ही क्या है? आपने कहा कि आज 64 प्रतिशत लोग हमारे देश में शिक्षित हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा की डेफीनेशन क्या है, मानक क्या हैं? साक्षर हैं, तो किस स्तर के साक्षर है? आपने बात शुरू की है, तो मैं पहले उसी के बारे में कह रहा हूं।

आप जिस व्यवसाय से आते हैं, मैं उसका आदर करता हूं। आप बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। मैं क्रिकेट खेलता था और चौके-छक्के मार लेता था। मैं शायद आपकी शैली में बात न कर सकूं, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस श्री दलबीर भंडारी का नाम तो सुना ही होगा, मैं उनकी बात आपके सामने रखता हूं। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, उसे मैं यहां कोट करना चाहता हूं। आप जिस साक्षरता की बात कर रहे हैं, उसके बारे में वे कहते हैं -- "The quality of education is equally troubling." अब यह 64 प्रतिशत साक्षरता का क्या अर्थ है, उस बारे में मैं जानना चाहूंगा। आप इससे उसे मिलाकर देखिये तो स्पष्ट हो जाएगा।

> "For classes I and II only 78.3 per cent of students surveyed could recognise letters and read words or more in their languages. In 2006, it was even worse. Only 73.1 per cent could do so. It is disheartening to peruse that statistics for classes III to V where only 66.4 per cent could read class I text or more in their own language in 2007."

यह मानक आपने तय किया है कि हमारे देश में 64 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, तो वे कौन हैं? आप इस बिल को लेकर आये हैं। इस

बिल पर हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन इसमें इतनी अधिक विसंगतियां हैं, त्रृटियां हैं, जिनके बारे में आपने खुद कहा और फिर पाला दूसरे के क्षेत्र में डाल दिया। हम गेंद बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं, लेकिन आपने अपना सारा भार दूसरी राज्य सरकारों पर डाल दिया। कोई मानक तय ही नहीं है। आपने कहा कि राज्य सरकार तय करेगी कि नेबरहुड्स स्कूल्स और गुरूकुलों की संख्या और संज्ञा क्या होगी? राज्य सरकारें तय करेंगी कि कहां पर स्कूल होने चाहिए और कहां नहीं होने चाहिए। वह बात समझ में आती है। शिक्षकों की गुणवत्ता और योग्यता क्या होगी, उस बारे में आपने कहा कि पांच साल बाद तय होगा जबकि बिल आप आज लेकर आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को मालूम नहीं है। आपने कहा कि पैसे राज्य सरकारों को खर्च करने पड़ेंगे और हम अपना योगदान देंगे। आपकी खुद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में, जो आपके सामने है, वर्ष 2009 में उसकी दो ही मीटिंगें हुई हैं। वर्ष 2005 में ड्राफ्ट बिल तो जरूर आया था। लेकिन वह ड्राफ्ट बिल जब निकला, तो आपने पूरे देश भर में लोगों से कहा कि आप हमें अपने सुझाव दीजिए। मैंने बहुत देखने की कोशिश की कि कहीं कोई संकलन होगा, जिसमें मैं कुछ निकाल सकूं, लेकिन वह संकलन कहीं नहीं मिला। जब हमने आपकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखी, तो पता लगा कि यह सब होने के बाद जनवरी, 2009 में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, उस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गवाह के रूप में केवल एलीमेंट्री शिक्षा के सचिव पहुंचे। उसमें काफी आपत्तियां दर्शाई गयीं, जिनका आपने इस बिल में कहीं उपयोग नहीं किया। वे ऐसी आवश्यक टिप्पणियां थीं, जिनके बारे में, मैं समझता हूं कि सरकार को उनका उपयोग करना चाहिए था। आपने अपनी ओर से ऐसा कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया।

आपने कहा कि हम फंडिंग करेंगे। मैं आपका ध्यान Financial Estimates, Chapter III, Clause 7, recommendation of the Department Related Standing Committee on Human Resource Development:

> "The Committee observes that the projected financial requirement does not reflect the actual distribution of the burden between Centre and the States. The Government cannot afford to ignore the facts that many State Governments have expressed their inability to bear the huge financial estimated for the implementation of the Act."

बहुत सारे राज्य ऐस हैं, जिनमें इतनी ताकत या हिम्मत नहीं है कि वे इसे कर सकें। मैं आपका वक्तव्य कहीं पढ़ रहा था, जिसमें कहा गया था कि सर्वशिक्षा अभियान का पैसा भी लोगों ने परिवर्तित कर दिया। ऐसा भी कहीं वक्तव्य दिया गया है, जिसे मैंने देखा था:

> "In fact, some States have advocated that the Central Government should assume full financial responsibility for the same. This was the recommendation. The Committee is of the view that this formula that is, for sharing of funds between Centre and States should be finalised and reflected in the Financial Memorandum of the Bill. The formula for sharing the funds should be clearly stated and in the absence of any credible formula, should state that till a revised formula is worked out throughout appropriate consultations, the present sharing formula will continue."

> "The Committee feels that for enabling the financial commission to make appropriate recommendations both the overall finance costs as well as the sharing formula between the Centre and the States must be settled."

आपने इसका निपटान नहीं किया है। आप तीन साल में क्या निपटान करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है।

> "The Committee recommends that necessary steps be taken to ensure that the State Governments discharge their basic responsibility of providing elementary education."

आपने कुछ तय किया नहीं है। फाइनेंस में बड़ी सीधी दो ही बातें सामने आती हैं। वे दो चीजें यह होती है कि इस काम में पैसा कितना लगेगा और आएगा कहां से? वह फार्मूला आपने तय नहीं किया है। मैं फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि आपको यह तय करना होगा, आप संसद से ब्लैंक चेक नहीं ले सकते हैं। इसलिए जब तक फाइनेंस तय नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं कि किसी चीज का कोई औचित्य नहीं है। मैं यहां इसकी केवल आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं सकारात्मक आलोचना करूंगा। It will be constructive criticism. यहां फाइनेंस के बारे में आपने कोई भी ऐसी बात हमारे सामने नहीं रखी है जिसको लेकर हम आश्वस्त हो सकें कि वह गरीब जहां पर आप शिक्षा का अधिकार लेकर आना चाहते हैं, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप इसको पूर्ण रूप दे सकें और जो सपना आपने दिखाया है वह पूरा हो सके।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग क्रॉस-टॉक्स न करें। शान्त रहिए।

श्री कीर्ति आज़ाद : महोदय, आपने और मैंने सेंट स्टीफेन्स से पढ़ाई की, अच्छे संस्थान में चले गए। आपने बताया 100 में से 88 लोग ऐसे हैं जो कॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आप यह जो बिल लेकर आए हैं, मुझे नहीं मालूम यह कितना सफल हो पाएगा। मानक तय करने के लिए आपने राज्यों को कहा है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि नेबरहुड स्कूल का स्वरूप क्या है। हम तो सुना करते थे, अगर आप ऐतिहासिक-धार्मिक बातों को सुनें, ऋषि संदीपन के यहां कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। उनमें से एक

राजा का बेटा था और दूसरा गरीब का था। उस जगह पर सभी को बराबरी की शिक्षा मिलती थी। यह बात आपको माननी पड़ेगी कि अपना देश केवल एक समतल क्षेत्र नहीं है। इसमें पहाड़ी इलाके भी हैं, नदी-नाले भी हैं, रेगिस्तान भी है और सपाट मैदान भी हैं। गांव और देहात में अगर आप देखेंगे, अगर आप गांव में चले जाएं, मैं पांच लाख गांवों की बात कर रहा हूं, वहां सभी जगह जातीय आधार पर अलग-अलग टोले, छोटे-छोटे गाँव में बंटे हुए हैं - कोई इस जाति का टोला है, कोई दूसरी जाति का टोला है, कोई डेढ़ किलोमीटर दूर है, कोई दो किलोमीटर दूर है। ऐसे में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जैसे मेरा क्षेत्र दरभंगा या उत्तरी बिहार या उत्तरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखें, आप उत्तर पूर्व के क्षेत्र देख लें, बंगाल के क्षेत्र देख लें, ऐसे कई क्षेत्र हैं, जो नेपाल की तराई से लगते हैं, जो पहाड़ों से लगते हैं। अगर आप वहां जाइए तो एक गांव किसी बाढ़ में, जल प्रवाह के कारण दो हिस्सों में बंट जाता है, चलने में लोगों को असुविधा होती है, सड़क पार करना मुश्किल है, सड़कें टूट जाती हैं जो सालों-साल नहीं बनती। ऐसे में एक बच्चे को उसके घर से डेढ़ से दो किलोमीटर दूर ले जाकर पढ़ाना बहुत कठिन है। पहाड़ों के ऊपर बच्चा दो किलोमीटर नीचे आकर पढ़ेगा या दो किलोमीटर ऊपर जाकर पढ़ेगा। वहाँ छोटे-छोटे, दस-दस, पंद्रह-पंद्रह घर होते हैं, उसमें आप कैसे तय करेंगे। राज्य सरकार भी कैसे तय करेगी? अगर कहीं पर गांव की दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर की दूरी पर 20-20, 30-30 या 50-50 घर और बच्चे होंगे तो क्या हर जगह पर स्थानीय स्कूल बनेगा और अगर स्थानीय स्कूल बनेगा, तो राज्य सरकार उस पैसे को कैसे पूरा करेगी? यह सारी चीजें हैं। आपने यह तो कह दिया कि मुफ्त व निष्पक्ष शिक्षा देंगे, यह तो कह दिया कि संसाधन बनाएंगे, संसाधन के लिए जितना हम दे सकते हैं, देंगे बाकी राज्य सरकार अपनी ओर से करें, लेकिन आपने यह सुनिश्चित नहीं किया कि अगर बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो उसका दण्ड क्या होगा। आपने कह दिया कि राज्य सरकार स्थानीय अफसर, अभिभावक, मुखिया, जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए जाए, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं गया तो उसके लिए आपने क्या दण्ड रखे हैं?

आपने बाँट दिया है और बच्चों को ले जाने की जिम्मेदारी तय कर दी है, लेकिन अगर बच्चा न जाए, तो ले जाने वाले पर जो जिम्मेदारी तय की है, उसे क्या दंड दिया जाएगा? होगा यही कि एक दूसरे पर भार डालते रहेंगे, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे और इस शिक्षा का अधिकार बिल पर पानी फिर जाएगा। ये कुछ ऐसे मानक हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इनका अवश्य जवाब दें।

हमारे देश को आजाद हुए 62 साल हो गए हैं। सरकार का एक सर्वे हुआ है, जिसके अनुसार देश में 60 प्रतिशत से अधिक लोग रोजाना 20 रुपया कमाते हैं। यह अर्जुन सेन गुप्त जी की रिपोर्ट है, जो आपकी ही पार्टी के हैं। वह व्यक्ति जो रोजाना 20 रुपया और उससे भी कम कमाता है, वह तो यही सोचेगा कि मैं अपने बच्चे के हाथ में कलम थमाऊं, उससे अच्छा तो यही है कि उसके हाथ में औजार दे दूं, जिससे वह भी दो-चार रुपए कमाए। अब आप ही सोचें कि वह बच्चा क्या स्कूल जा पाएगा, क्योंकि उसके बाप को लगता है कि अपना हाथ जगन्नाथ यानि जितने हाथ होंगे कमाने वाले, उतना ही फायदा होगा। इसलिए आपको कुछ न कुछ ऐसी प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए और ऐसे मानक तय करने चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल जाने को प्रेरित हो और उसके मां-बाप भी प्रेरित हों। आपने कहा है कि इसके लिए एक परामर्श समिति बनाएंगे, उसमें सब कुछ तय होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया उसमें सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, सचिवों या संयुक्त सचिवों को न रखें, बल्कि जो शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में जाकर न केवल शिक्षा दी है, अपितु पिछड़े स्थानों पर जाकर यह देखा भी है कि शिक्षा में किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उन्हें जगह दें। ए.सी. कमरों में बैठकर इसे तैयार करना बड़ा आसान है, लेकिन स्थानीय स्थिति को समझकर, वहां जाकर देखकर फिर कोई चीज तैयार करना बहुत कठिन है। इसलिए आपको कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल जाए।

आपने यह भी कहा है कि मिड डे मील जैसा कार्यक्रम बनाएंगे, रसोई बनाएंगे। उसके लिए राज्य सरकारों से बात करेंगे और उसके मानक तय करेंगे। इसमें भी अगर पांच साल का समय लग जाएगा, तो फिर आपका यह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको खेलों के सम्बन्ध में भी सोचना चाहिए। बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है और उसके माता-पिता बछिया के ताऊ की तरह काम करते हैं। अगर वह खेलों में रुचि लेता है तो उस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए और खेलों के प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप जो अध्यापक रखेंगे, मेरा सुझाव है कि वे प्रशिक्षित होने चाहिए। आपने कहा है कि इस योजना के तहत तीन से पांच सालों के बीच सरकार 60 लाख शिक्षकों को चिन्हित करेगी। मेरा कहना है कि क्या इस अवधि में आपको इतने शिक्षक मिल पाएंगे? मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार देश में 44 प्रतिशत ऐसे शिक्षक हैं, जो पांचवीं कक्षा के सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते। उनसे जब यह कहा गया कि आप 'Success' के स्पेलिंग लिखकर बताओ, तो गलत लिखा। उनसे कहा गया कि भगवान, ईश्वर या अल्लाह के नाम लिखकर दो, तो वे नहीं लिख सके। क्या ऐसे शिक्षकों के साथ आ गुणवत्ता शिक्षा देने की जो बात करते हैं, वह पूरी हो पाएगी? जो शिक्षक भगवान, ईश्वर या अल्लाह का नाम नहीं लिखकर दे सकता और पांचवीं कक्षा के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, उससे आप अपेक्षा करेंगे कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत में अंतर नहीं मालूम और उनसे हम यह अपेक्षा करते हैं कि वे बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे, भारत शिक्षा के मामले में आगे बढ़ जाएगा। ये ऐसे बिंदु हैं, जिन पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा।

आपने कहा कि राज्य सरकारों से हम बात करेंगे, फिर तय किया जाएगा, वित्त आयोग से बात करेंगे। यह कोई बात नहीं है, यह तो हवा में उड़ाई गई बात है। इससे आपका विजन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आपको याद होगा कि यहीं एक बिल पास हुआ था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 7 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन जारी किया था और वह कानून बन गया था। उसके बारे में आपने प्रचारित किया था -राजीवज़ ड्रीम, यूपीए कमिटमेंट, वह ग्राम न्यायालय का बिल था। आपने देश में 5067 ग्राम न्यायलय बनाने की बात कही थी। उसमें 300 पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने थे। आपने तय किया था कि एक ग्राम न्यायालय का संसाधन बनाने के लिए 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसको सालाना चलाने के लिए 6.4 लाख रुपये दिये जाएंगे। तीन सौ पायलट प्रोजैक्ट्स की बात आपने की

थी। खेद की बात है कि एक भी पायलट प्रोजैक्ट आज धरातल पर दिखाई नहीं देता है, जबकि सात महीने उस एक्ट को पास हुए हो चुके हैं। राज्य सरकारों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे सक्ते हैं। मैं केवल 5067 ग्राम न्यायालयों की बात कर रहा हूं जिनके लिए इन राज्यों ने हाथ खड़े कर दिये हैं, यहां आप पांच लाख गांव में न जाने कितने अरब रुपयों की बात कर रहे हैं। राज्य सरकारों के सिर पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए।

अभी हमने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर बात की। आप 2012 तक का लक्ष्य बताते हैं लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं जहां उस पर 5 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है। आपके पावर-ग्रिड के लोग आये थे, वे वहां से भाग गये। कहां गये, समझ नहीं आ रहा है, हम उन्हें ढूंढे जा रहे हैं। हमने सोचा कि भागते चोर की लंगोटी सही, लेकिन वह लंगोटी भी दिखाई नहीं देती है। यह परिस्थिति बनी हुई है। इसलिए केन्द्र सरकार जब भी कोई योजना लाए, ठोस लाए, अच्छी लाए। मैं इसका समर्थन जरूर करता हूं लेकिन कहां तक यह सफल होगी, मुझे समझ नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कॉलेज में इतिहास पढ़ा है, मैं अपनी ओर से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, जिससे किसी को बुरा लगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। एक बादशाह था जिसका इतिहास में बड़ा नाम हुआ है। उसकी सोच बड़ी अच्छी थी, सोच-विचार में बड़े जबर्दस्त थे, सोच बड़ी अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल गड़बड़ था। उनके तुगलकाबाद का 2.4 करोड़ रुपये में नवीनीकरण का काम चल रहा है। उनका नाम मौहम्मद-बिन-तुगलक था। कृपया इसको गलत न लें, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, सर रहेंगे, यह न समझें कि मैं आपको कह रहा हूं लेकिन मन में दुविधा है, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या होती है, एक बकरे के बदले में गाय देनी पड़ती है, एक घोड़े की जगह गधा बदलना पड़ता है। अब चूंकि गधे का दाम घोड़े से कम है इसलिए यह बार्टर-सिस्टम नहीं चलेगा, मैं सिक्के बनवाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसने सिक्के बना लिये, लेकिन न सिक्के का शेप था न साइज था, न सिक्के पर कोई सील थी। पता चला कि हर घर में सिक्का बनना शुरू हो गया और मौहम्मद-बिन-तुगलक का जो खजाना था, वह खत्म हो गया। नॉर्थ-वैस्ट फ्रंटियर से बहुत हमलावर आया करते थे। उन्होंने कहा कि दौलताबाद में हम अपनी राजधानी को ले जाते हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): कीर्ति जी, सिक्के घर में बने तो ज्यादा बन गये होंगे?

श्री कीर्ति आज़ाद : सिक्के ही चलने लगे, बाकी सब खत्म हो गया। वे नकली नोट हो गये ना। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि नकली नोट हिंदुस्तान में बनें, तब जाकर शिक्षा पूरी होगी। ...(व्यवधान) बादशाह ने कहा कि हमले से बचने के लिए अपनी राजधानी दौलताबाद ले जाएंगे। दौलताबाद तो चले गये, लेकिन लाखों लोग रास्ते में मर गये और उन्हें " द वाइजैस्ट फूल" की संज्ञा मिली। सर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। उस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने न आये, ऐसा कुछ होना चाहिए। आपके पास कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। आपने कहा कि गुणवत्ता शिक्षा देंगे, लेकिन ड्रॉप-आउट्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि जिस उम्र का बच्चा है उसे उस क्लॉस में दाखिला दे दिया जाए। आपके एक्ट में है कि अगर बच्चा आठ साल का है, उसे अगर तीसरी क्लॉस में जाना चाहिए तो आप उसे सीधा तीसरी क्लॉस में ले जाएं, चाहे उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही क्यों न हो। इस कम्प्टीशन के जमाने में आपको कोई निगरानी समिति तो रखनी ही पड़ेगी। आपकी जो स्टेंडिंग कमेटी थी उसने सुझाव दिया था कि कोई न कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आप अवश्य रखें। कोई बच्चा अगर क्लॉस में शरारती है तो आप उसे क्लॉस से निकाल नहीं सकते। एक बच्चे के कारण तीस बच्चों के साथ समस्याएं होती रहें, पूरी क्लॉस बर्बाद होती रहे, लेकिन आप उस बच्चे को निकाल नहीं सकते, वह बच्चा बाहर नहीं जा सकता। आपकी स्टेंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन की है कि उसकी कौंसलिंग होनी चाहिए। कौंसलिंग नहीं हो तो यह किया जाए कि उसे एक स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में भेज दिया जाए। लेकिन आपने स्टैंडिंग कमेटी का इस प्रकार का कोई भी प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया है। वह बच्चा पूरी क्लॉस को बर्बाद करता रहे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसे सिखा सकें, कुछ बता सकें, ऐसा कुछ नहीं है। आज जहां इतना कम्प्टीशन है, उस कम्प्टीशन के अंदर सभी को हम एक साथ घुसाकर चलेंगे तो फिर आपने जो गुणवत्ता शिक्षा की बात रखी है, उस गुणवत्ता शिक्षा का आगे क्या होगा? इसलिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहता था। इसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आज के जमाने में अगर मान लीजिए कि वह 8वीं पढ़कर निकल जाएगा तो कम से कम व्यावसायिक शिक्षा ले लेगा तो कुछ सीख लेगा। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूलों के अंदर कराई जाए। शिष्टाचार के पाठ पढ़ाए जाएं। बच्चे क, ख, ग, अलिफ, बे, पे, ते, ए,बी, सी, डी, ये तो सीखेंगे ही लेकिन स्कूलों में शिष्टाचार के भी पाठ पढ़ाएं जाएं, यह भी आज के जमाने को देखते हुए आवश्यक है। पब्लिक अवेयरनैस, सिविक अवैयरनैस के भी पाठ रखे जाएं। पर्यावरण की हम लोग बात करते हैं, गांवों के अंदर लोग लकड़ियां काटकर उन्हें जलाकर ईंधन का उपयोग करते हैं। बच्चे जब अपने घर में बोलते हैं, हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे तो कुछ बोला करते थे, बच्चे उस बात को सुनते हैं, जबर्दस्ती पीछे पड़ते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शिष्टाचार के पाठय़क्रमों को भी सिखाया जाए। अगर एक डॉक्टर, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र से आकर प्रत्येक सप्ताह कक्षा ले और पर्सनल हाइजीन के बारे में बताए, अगर वहां का बीट कांस्टेबल अपने एरिया के लोगों को जाकर यातायात नियमों को बताए। अब देखिए कि सड़कें जिस प्रकार से अभी बननी शुरु हुई हैं, आप जयपुर के रास्ते चले जाइए, आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा भैंस के ऊपर बैठा हुआ है और आपकी गाड़ी 120 की रफ्तार से जा रही है लेकिन वह सड़क पर आराम से आपकी गाड़ी के सामने चलता चला आ रहा है, आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है कि पहले भैंस क्रॉस कर जाए, उसके बाद गाड़ी आगे जाएगी। इस तरह से इन नियमों के बारे में सिखाया जा सकता है।

हम अनेकों बार यहां खेलकूद की बातें करते हैं। हमारी मलेश्वरी बन जाती है, अभिनव बिन्द्रा बन जाते हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक ले आते हैं, तो आप उन्हें करोड़ों रुपया देकर पहचानते हैं कि ये हमारे खिलाड़ी हैं। अगर आप गांवों के स्तर से प्रशिक्षित खेल शिक्षक को रखें और वे प्रतिभाएं वहां से निकालें तो मैं इतना आपको कह सकता हं कि और मझे यह कहते हए बहत

खुशी तो नहीं होती है कि केवल क्रिकेट ही हमारे देश में ऐसा खेल है जिसको लेकर न जाने कितनी बार संसद में भी इस पर बहस हो चुकी है लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर अवश्य कह सकता हूं जिस समय हम लोग खेला करते थे, अधिकतर बड़े शहरों से लोग आया करते थे, आज क्रिकेट के अंदर क्योंकि इस खेल ने गांवों-गांवों को प्रभावित किया है, लोग टेलीविजन पर इसे देखते हैं और सीखते हैं। आज हमारे पास छोटे-छोटे गांव और कस्बों से भी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी दिख रहे हैं। वह बात दूसरी है कि इन खेल संस्थाओं के बारे में यहां टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट लोगों के बीच में चला गया क्योंकि उसने अपने आपको फैलाया, अपने कार्यक्रमों को जारी रखा, अगर हम यही सरकार के माध्यम से इन तथाकथित विद्यालयों को जिनका स्वरूप तैयार नहीं है, इसलिए तथाकथित मुझे कहना पड़ेगा। The so called neighbourhood schools as you have advocated. जब इसमें आप ये प्रशिक्षित खेल शिक्षक रखेंगे तो अवश्य ऐसी प्रतिभाएं निकलकर बाहर आ सकती हैं जो आगे चलकर हमारे देश का नाम आगे बढ़ा सकती हैं। इसलिए जब आप एक पूर्ण शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं तो मैं यहीं कहना चाहूंगा कि आधे अधूरे लेजिस्लेशन को सामने लाकर कार्य न किया जाए। यह मेरा आपके लिए एक अलग सुझाव होगा। मुझे केवल संशय इस बात पर होता है, आप जिस व्यवसाय से रहे हैं, मैं केवल आपके सामने कई ऐसे लोगों के नाम लेना चाहता हूं, जिनके मन में इस बिल को लेकर संशय रहा है और उन्होंने यहां तक कहा है, The experts say that the Bill is a betrayal. आपने 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए तो कह दिया लेकिन जो 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी क्या पढ़ाई होगी, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। प्री- स्कूल राज्य सरकारें चलाएंगी, वे सुनिश्चित करेंगी, गरीब राज्य सरकारों से अपनी सड़कें तो अभी बनाई नहीं जाती, बिजली पूरी दे नहीं पाती और आप चाहते हैं कि शिक्षा वह पूरी दिला पाएंगी। यह संभव नहीं है, आपको समर्थन पूरा देना पड़ेगा। आपके जस्टिस विश्वनाथ साहब हैं, जस्टिस राजीव भल्ला साहब हैं, अनेकों लोग हैं जिन्होंने इस बात को रखा है और आपके सामने प्रोफेसर पी.एम.भार्गव हैं, जो वाइस-प्रेसीडेंट, नेशनल नॉलेज कमीशन, हैदराबाद से हैं।

15.00 hrs

उन्होंने कहा है -

> "RTE Bill: Bane for the poor. Discriminatory, lopsided and myopic, the Right to Education Bill will further increase the divide between the rich and the poor."

आपने अभी 25 प्रतिशत की बात कही, ट्यूशन फीस माफ करने की बात कही लेकिन कंप्यूटर की फीस लगती है, बिल्डिंग फीस लगती है, वह कौन देगा? इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा अलग-अलग अंदर और बाहर की फीस होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

> "As education becomes more inaccessible for the poor than ever before, the State must decommercialise the existing structure and adopt a common school system providing free and compulsory education."

इस तरह का संशय हमारे मन में है। He goes on further to add:

> "If school education is not taken care of, I predict there would be a bloody revolution in this country in the next 15 years. Therefore, if the Right to Education Bill is passed in its present form, there would be no immediate choice but to engage in a public interest litigation which may turn out to be the most important one ever fought in the history of this country."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी ने मेरी बात को जरूर पहले सुना होगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूँ -

> "If the Right to Education Bill is passed in its present form, there would be no immediate choice but to engage in a public interest litigation which may turn out to be the most important one ever fought in the history of this country."

आप इतने जबरदस्त नामी वकील हैं, मैं आपका फैन हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस तरफ होते तो आपने भी इस बिल के चिथड़े उड़ा दिए होते लेकिन मैं इस तरह नहीं कर पाया। आप कभी अकेले में मिलें तो मुझे बता दीजिएगा कि अगर मुझे इस बारे में कभी और बोलने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें क्या कमजोरियां हैं।

श्री कपिल सिब्बल : आपको जरूर बताऊंगा। जो बातें छूट गई हैं आपको समझा दूंगा।

श्री कीर्ति आज़ाद : निश्चित रूप से वरिष्ठ को कनिष्ठ को समझाना ही चाहिए। मेरे पास प्रमाणित करने के लिए बहुत कुछ है, कुछ मामले हैं। मैं कुछ बुलेट प्वाइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। There are no specific penalties if the authorities fail to provide elementary education. मैंने आपके सामने यह बात पहले रखी थी कि किसे दंडित करेंगे। आपने ड्रापआउट्स के बारे में कुछ नहीं कहा। माननीय कृÂणा जी, आप सुन लीजिए, अगर मैक्सिमम लड़कियों की ड्रापआउट का सबसे बड़ा कारण है कि वहां टायलेट नहीं हैं। लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन शौचालय नहीं हैं। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर बिहार में किए जा रहे कार्यों को रखना

चाहता हूं। आज अगर सबसे अधिक कहीं लड़कियां पढ़ रही हैं तो बिहार में पढ़ रही हैं। आप व्यवस्था लेकर आए हैं और मैं ग्रामीण लड़कियों की बाबत बात कर रहा हूं। वहां लड़कियों को 800 रुपए वजीफे के रूप में मिलता है। आठवीं कक्षा पास करने के बाद साईकिल मिलती है, वर्दी और पढ़ने के लिए मुफ्त कापी किताबें मिलती हैं। यह योजना तब से अच्छी तरह से चल रही है जब से हमारी सरकार आई है। आपने पिछड़े को विशेÂा रूप से वर्णित किया है, हमारी सरकार ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महा दलितों को, यदि वहां स्कूल नहीं भी है तो शिक्षकों को रखकर नियमित रूप से पढ़ाने का इंतजाम किया है और साथ ही साथ इन बच्चों को वजीफा भी दिया जाता है। यदि बच्चे 12वीं कक्षा पास करते हैं तो अल्पसंख्यक को 10,000 रुपए वजीफा मिलता है कि आप उच्चतर माध्यमिक पास कीजिए और 10,000 रुपए का वजीफा लीजिए। इस प्रकार के कार्य हमारे राज्य में शुरू हुए हैं। आप चाहें तो किसी को भेज सकते हैं। आप वहां से नमूना सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार सरकार इतनी वित्तीय समस्याओं के बावजूद लोगों को आगे पढ़ाई करवा रही है। आप वकील हैं, आप मेरे मन के संशय दूर कर दीजिए। You have not excluded minority schools. They are not exempted from the provisions of this Bill. Is it possible that it will conflict with article 30 of the Constitution which allows minorities to set up and administer educational institutions? यह भी एक बात है जो कि आगे चलकर समस्या पैदा कर सकती है। क्या इसे दूर करने के लिए आपके मन या बिल में कोई सुझाव है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम इस चीज पर बात कर लें, क्योंकि जो वक्तव्य आपने दिया है और जो बिल हमने देखा है, उससे यही लगता है कि यह बिल तो जरूर यहां लाया गया है, ताकि आप हमसे ब्लैंक चैक ले रहे हैं। लेकिन यह राज्य सरकारों के साथ बैठकर तय होगा। क्योंकि ग्राम न्यायालय बिल पारित हो जाने के सात महीने बाद तक जिसका स्वरूप धरती पर न उतर पाया, आप इनमें से एक भी न्यायालय को नहीं चला पाये तो मुझे यह लगता है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इसी चीज का संशय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक बिल पारित होने के बाद छः महीने तक जिस बिल ने सुबह न देखी हो, ऐसे में पूरे देश के अंदर पांच लाख गांव में शिक्षा का अधिकार बिल आप आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, मेरे मन में इस बात की बड़ी दुविधा है और मुझे यह शंका है कि यह हो पायेगा या नहीं हो पायेगा। यह संशय मेरे मन में सदैव बना रहेगा।

इतनी बातें रखकर मैं इस बिल का समर्थन अवश्य करता हूं, लेकिन संशोधनों के साथ आशा करता हूं कि आपने अपनी जिन बातों को यहां रखा है और सारी राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी मढ़ दी है, मैं आशा करता हूं कि कुछ जिम्मेदारियां आप भी लेंगे तथा शिक्षाका अधिकार जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, वह शिक्षा गुणवत्ता दिलाने में सक्षम होंगे।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठी हुई सोच रही थी कि आजाद जी का भाषण बहुत अच्छा रहा। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देती हूं। छक्के और चौके मारना वह अभी भी भूले नहीं हैं। ...(व्यवधान) लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा पर, शिक्षा के मूल्यों पर और शिक्षा की इतनी कवायद पर हम लोग चर्चा करें तो निश्चित तौर पर इसमें विचारणीय बिन्दु भी हैं। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन हमने बहुत कुछ किया भी है। हम गांधी जी को इसलिए नहीं भूल सकते, क्योंकि आजादी के पूर्व उनकी धारणा थी कि शिक्षा सबको मिले और इसीलिए हमारे कांस्टीटयूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में इसकी व्याख्या है, पालिसी है। लेकिन उस सबसे बावजूद उन्होंने जो सपना देखा था, वह पूरा नहीं हो पाया। यदि हम उस सपने के तहत आगे जाएं तो मैं स्व.श्री राजीव गांधी के बगैर शिक्षा में आज भी जो कुछ हो रहा है, उन्हें धन्यवाद दिये बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बेबाकी के साथ देश के प्रधान मंत्री ने उस समय कहा कि हमें यह स्वीकार है कि हमारे स्कूलों में कमरे नहीं हैं। हमें इस बात को सोचना होगा कि स्कूल एक टीचर से नहीं, बल्कि बिना टीचर के चल रहे हैं। हमें देखना होगा कि बच्चे आज भी कुओं से पानी लाकर एक-दूसरे को पिला रहे हैं। हमें देखना होगा कि स्कूलों में ब्लैक बोर्ड्स तक नहीं हैं और बेबाकी के साथ उन्होंने केवल इसे स्वीकारा ही नहीं, बल्कि नई शिक्षा नीति के रूप में सम्पूर्ण देश भर को जगाया और फिर नई नीति का आगाज किया। मुझे लगता है कि इसमें माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसी सोच को फिर दोहराया है, क्योंकि वह दौर उसके बाद फिर आया है। बेबाकी के साथ इस बात को स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री जी ने यहां जब जवाब दिया था, उस वक्त कहा था कि शिक्षा में जो कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इस हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे भी बहुत कुछ करना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।

महोदय, मैं क्लाजेज की बात करूं। परंतु इस बात के पहले मैं उन्हें धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती। यदि हम क्लाज - 6 से शुरू करें तो इसमें प्रत्येक नेबरहुड में एक स्कूल की व्याख्या है, एक स्कूल के बारे में कथन है। क्लॉज-8 इस बात की गारंटी देता है कि फाइनैंशियल रैस्पौंसिब्लिटीज सैंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर तय करेंगी। यह क्लॉज़ इस बात के लिये भी कहता है कि एप्रोपरिएट गवर्नमेंट ड्यूटीज को प्रावोईड करेगी, क्लॉज-9 लोकल अथौरिटीज की बात करता है, क्लॉज-10 गार्जियन्स और पैरेंट्स की रैस्पौंसिब्लिटीज को फिक्स करता है लेकिन 11वें क्लॉज़ तक आते आते रुक जाते हैं। प्री-स्कूलिंग का दायित्व राज्य सरकारों पर डालने की बात इसमें कही गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगी कि केवल 0-6 साल की

उम्र के बच्चों का ही तो भविष्य सुनिश्चित करना है कि वे आगे कहां जायें? हम बच्चों को आज ICDS के भरोसे या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं.। अगर बच्चों को छोड़ना है तो हम लोगों को कुछ नीतिगत फैसले करने होंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि 0-6 साल की उम्र के बच्चों के लिये जब सरकार नियम बनाये तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर हो कि प्री-एजुकेशन को हम कहां पर लागू करना चाहते हैं? मैं इस बात के लिये मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि कैपिटेशन फीस को इस बिल में पूरी तरह से नकारा गया है। जो गरीब बच्चे हैं या जो ऐसे तबके से आते हैं जिनको प्रतिदिन 25 से 30 रुपये मिलते हैं, उन लोगों के लिये एक रास्ता खुलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज-12 फ्री एजुकेशन और कम्पलसरी एजुकेशन की बात करता है, उसकी हम तारीफ करना चाहते हैं। प्रोवीजो-15 जो एफिडेविट ईयर और टाइम आदि का जिक्र करता है, उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। खासकर क्लॉज़-17 की जितनी तारीफ की जाये, वह कम है। इसमें फिज़िकल पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। आप टी.वी.देख रहे होंगे या अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में पनिशमेंट जिस तरह से दी जा रही है, उससे अनेक बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इसे रोकने के लिये मंत्री जी द्वारा किये गये प्रयासों की मैं सराहना करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज-23-27 और 28 तक टीचर्स के बारे में बताया गया है। मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूं कि रूल्स में इस बात का ध्यान रखें कि उन लोगों के लिये जहां बी.एड की ट्रेनिंग कम्पलसरी है वहां दो कक्षों में , जिस तरह से मशरूम ग्रोथ हुई है, बीएड कालेजेज की, मैं कुछ स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहती, वहां 50-60 हजार रुपये फीस लेकर कुछ टीचर्स बनने का सर्टिफिकेट ले सकते है। इन पर रोक लगनी आवश्यक है। इसलिये इस बात को इस में रखना होगा। जब प्रवेश होना हो तो किसी न किसी टैस्ट की आवश्यकता महसूस होगी। लेकिन प्राइवेट टयूशन को बंद करना एक बहुत बड़ा दिशा-निर्देश है, ऐसा मैं सोचती हूं।

उपाध्यक्ष जी, इसी तरह क्लॉज-31,32,33,34 और उसके बाद क्लॉज-37 में इस बात का जिक करने से हमें आशा बंधती है कि इसमें नोटिफिकेशन एप्रोपरिएट खासकर रूल्स के बाद होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री से अपेक्षा करती हूं कि वह जब रूल्स बनायें, तब इस संबंध में जरूर ध्यान दें। अभी माननीय सदस्य इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस बिल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे स्टेट सब्जैक्ट बना दिया गया हो। मैं इस बात से इन्कार करती हूं। यह बिल इस बात के लिये बनाया गया है कि शिक्षा एक राज्य का विषय है। जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय न केवल उनकी मंशा थी बल्कि उसने यह कहा भी था कि यह राज्य का विषय है और राज्य का ही विषय रहने देना चाहिये। देश के 18 राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा से संबंधित स्वयं का विधान है लेकिन उनके हालात क्या है? कानूनों के कार्यों संबंधी अनुभव उत्साहजनक नहीं हैं। वास्तव में, इन राज्यों में उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सब से बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक स्वरूप ही नहीं है। इसलिये यू.पी.ए. सरकार ने सोचा कि केन्द्र सरकार को इस संबंध में कानून लाना होगा। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की, माननीया सोनिया जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की जितनी तारीफ करूं, वह कम है। मुझे एक शिक्षाविद ने आज सुबह ही फोन किया था कि इस विभाग पर चर्चा होते हुए, आप गौरान्वित हों, क्योंकि 60 साल की लगातार कवायद के बाद यह बिल आया है। यह हमारे लिए, प्रजातंत्र के लिए निश्चित तौर पर गौरव की बात है, लेकिन इस पर गर्वित मत होइए क्योंकि इसे लाने में 60 साल लगे हैं। इसके बीच की तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि कम से कम यूपीए की सरकार ने हिम्मत की, कि यह बिल केंद्र से आये, पास हो और शिक्षा का अधिकार सभी को मिले। इस बात के लिए मैं जितना धन्यवाद देना चाहूं, उतना कम है।

महोदय, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण देश की स्वतंत्रता के समय से ही एक चिर-परिचित स्वप्न रहा है और आज यह सपना सच होने जा रहा है। इस बात को देखा जाए, तो मैं समझती हूं कि इसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, वह कम है। ये सब बातें सरकार की सोच और विशेषकर राज्य सरकारों की सोच पर निर्भर करेगा। इस पूरे बिल में कुछ बातें विशेष तौर पर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, और मैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हालांकि मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है। यह पहला बिल है, जिसने कोई भी विषय-वस्तु नहीं छोड़ी है और इस विषय-वस्तु के जरिये इसमें इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है कि चाहे वह स्कूल को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे क्वालिटी की बात हो और चाहे ग्रीवेन्सेज रीड्रेसल्स की बात हो, इन सब बातों का जिक्र एक बिल में लाकर, इस बात को दर्शाने की कोशिश की गयी है। इस बात की प्रतिबद्धता को दिखाने की कोशिश यूपीए की सरकार कर रही है, हालांकि विलंब हुआ है, लेकिन राज्य सरकारों पर छोड़ा हुआ विषय अब इस नये रूप में सामने आएगा। हम राज्य सरकार से सहायता तो लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर मॉनीटरिंग करते हुए, उन सभी विषयों को जो छूटे हुए और अलग-अलग हैं, उन्हें संग्रहित करके एक-साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे।

महोदय, मैंने जिस बात का जिक्र किया कि हमारे संविधान में इस बात का जिक्र था, इस बात का जिक्र है और इस बात का जिक्र आपने अभी किया कि वर्ष 1993 में जब यह पास होकर, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, यह बात निकलकर आयी, जिसमें नीति-निर्देशक तत्व से माहिनी जैन के मामले में, कि इसे नीति-निर्देशक तत्व से हटाकर फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा जाए। अगर हम विश्व भर में देखें तो Article 26 of the UN Declaration on Human Rights and Article 14 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, उसके बाद the Right to Education has also been reaffirmed in 1960 in the UNESCO Convention against Discrimination in Education, the First Protocol on ESHR and the 1981 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women. इसमें इस बात को बार-बार दोहराया गया कि सभी राज्यों को, सभी राष्ट्रों को कंपलसरी एजुकेशन लेना चाहिए।

महोदय, क्योंकि हमारा स्वरूप ऐसा था। राज्य सरकार को केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही थी। मंत्री जी ने यदि यह बात कही है तो मैं

समझती हूं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। राज्य सरकारें पूरी तौर पर कभी भी शिक्षा के प्रति चैतन्य नहीं रही हैं, कुछ राज्य सरकारें रहीं तो उन लोगों ने छलांग लगाकर शिक्षा के प्रतिशत को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक विल के साथ, एक संकल्प के साथ उसे क्रियान्वित किया। जो राज्य पिछड़े हुए हैं, उनमें उनकी राज्य सरकारों का दोष है, लेकिन केंद्र सरकार ने और विशेषकर जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है, उसकी सोच हमेशा यह रही है कि बिना एजुकेशन के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

महोदय, कुछ गैप्स भी हैं, यदि मैं केवल तारीफ ही करती रहूंगी तो शायद मैं अपनी डयूटी का निर्वहन पूरी तरह नहीं कर पाऊंगी। यह सच है कि इस बजट में शिक्षा के लिए काफी प्रावधान हैं, लेकिन विशेषकर बच्चों के संबंध में 4.13 पिछले बजट में प्रावधान था, वह केवल 4.15 हुआ है, उसमें केवल .02 की ही बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इतना ही सही, लेकिन यदि इसका पूरा सदुपयोग किया जाए तो वह काफी होगा।

हमें यह नहीं भूलना है ताकि हम आज भी बेबाकी के साथ राजीव गांधी जी की तरह यह सोच रख सकें और हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज भी 35 प्रतिशत भारतीय अशिक्षित हैं, आज भी उनमें से 50 प्रतिशत फीमेल्स पढ़ना लिखना नहीं जानती। आज के ऑफिशियल फिगर्स इस बात को बताते हैं कि 50 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। आज भी एजुकेशनल सर्वे इस बात को दिखाते हैं कि ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको अपने बच्चों का रोज़गार ज्यादा प्रिय है बनिस्बत स्कूल भेजने के, और उसमें कोई मनाही नहीं क्योंकि हम कितना उनको निषेध कर सकेंगे? कहा भी गया है - " बुभुक्षतां किं न करोति पापं। " लेकिन यह यूपीए सरकार की सोच है कि एक तरफ जहाँ उन्होंने शिक्षा को इस बिल के माध्यम से आवश्यक बनाने की कोशिश की, वहीं पर आम गरीबी को दूर करने के लिए नरेगा जैसी स्कीम लाकर तथा गरीबी उन्मूलन जैसे अन्य संसाधनों के द्वारा, जैसे बजट भाषण के दौरान कहा गया, हम कितनी नौकरियों का ज़िक्र करें जिनके कारण हम गरीबी को मिटा सकें और इस बिल की मंशा को भी पूरा कर सकें। 40,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष शिक्षा के लिए खर्च होता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर यदि हम देखें तो उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी पाँच में से दो बच्चे स्कूलिंग सिस्टम में एनरोल होते हैं लेकिन पाँच में से दो बच्चों की प्रायॉरिटी प्राइवेट स्कूल की होती है। क्योंकि उनके माँ-बाप की सोच है कि गवर्नमैंट स्कूल में उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाएगा। 53 प्रतिशत जो कक्षा पाँच के विद्यार्थी हैं, उन बच्चों को फ्लुएंट पढ़ना भी नहीं आता जबकि प्राइवेट स्कूल में यह परसैंट 68 से 70 परसैंट तक जाता है। इसलिए इन बातों को हमें नहीं भूलना है।

जहाँ तक एनरोलमैंट का सवाल है, प्राइमरी लैवल पर 2005 में 84.53 का एनरोलमैंट हुआ, वहीं पर 92.75 का एनरोलमैंट अगले वर्ष हुआ। अपर प्राइमरी लैवल में भी 48.45 तक हम लोग पहुँचे हैं। इसमें क्वालिटी की बात इसलिए डाली गई कि इस बात को सरकार बेबाकी के साथ स्वीकार करती है। इस बात को हमारी पार्टी को बेबाकी के साथ स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं कि निश्चित तौर पर जो क्वालिटी स्कूल की होनी चाहिए, जिस मंशा के साथ स्कूल खोले गए थे, जिस मंशा के साथ एजुकेशन को आधार बनाया गया था, वह मंशा पूरी नहीं हुई। इसलिए आप लोगों का कहना और आँकड़े भी बताना कि कक्षा पाँच का विद्यार्थी दो कक्षा विद्यार्थी तक का जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता।

इसी तरह अगर हम ड्रॉप-आउट्स को देखें तो 1999-2000 में जहाँ यह 38.7 परसेंट था, वह घटकर 31.37 परसैंट हुआ 2004 में। उसका प्रतिशत इतना कम गिरा इतने वर्षों में कि उसे हम बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान सकते। लड़कियों का जहाँ तक परसेंटेज है, वह 42.3 परसेंट था। वह घटकर 24.82 हुआ है, लेकिन उसमें भी काफी बढ़ोतरी है। लेकिन कक्षा 1 से 8 तक में यह काफी कुछ बढ़कर जाता है और उसका कारण हमें समझने की ज़रूरत है।

मैं आपके माध्यम से सदन से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम गाँव के परिवेश से आते हैं। गाँव में जब कमाने लायक बच्चा या बच्ची हो जाता है, तो आप जानते हैं कि जिस इलाके राजस्थान से मैं आती हूँ वहाँ पर या तो बच्ची की शादी कर दी जाती है - चाइल्ड मैरिज, या बच्चे को काम पर लगा दिया जाता है। आज भी वहां पर बच्चों का ड्रॉपआउट 50 परसेंट के करीब है जो निश्चित तौर पर विचारणीय विषय है। लेकिन जब यह बिल आएगा, जब सरकार की सोच बनेगी, तो निश्चित तौर पर इस ड्रापआउट में कमी आएगी। माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जब 1986 में मेरे पास राजस्थान में शिक्षा मंत्रालय था, उस समय बच्चियों का ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं था, पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन एक छोटा सा प्रयास मैंने किया। छः डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे कि जब आज़ादी मिली, तब महिलाओं में शिक्ष का स्तर सात प्रतिशत था, लेकिन आज़ादी के बाद 1986 में राजस्थान और बिहार आदि इलाकों में जहाँ केवल पाँच परसेंट था, उस समय मैंने केवल पाँच रुपये की स्कॉलरशिप शुरू की थी राजीव जी के विशेष प्रयास के कारण और केवल दो साल में वहाँ का प्रतिशत एकदम उछलकर 11 प्रतिशत पर आ गया। इसलिए स्कॉलरशिप के प्रावधान को इसमें ज़रूर रखा गया है। इससे विशेषकर बच्चियों का ड्रॉपआउट रेट मिटाने में कमी आएगी, इस बात से हम लोग इंकार नहीं कर सकते। इस बात से हम लोग इंकार नहीं कर सकते हैं। आपने जिक्र किया, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि वह चार स्कूल, जिन स्कूलों के बारे में मंत्री जी ने कहा था कि उन स्कूलों में जाने का भी उनको हक है। इसीलिए 25 प्रतिशत बच्चे वहां जाएं, लेकिन एक सोच, एक विचार और एक प्रश्न जो अभिभावकों के मन में है कि उन 25 प्रतिशत बच्चों की आर्थिक जिम्मेदारी 75 प्रतिशत बच्चों पर डाल दी गई तो फिर बढ़ती हुई फीस का जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए उसके संबंध में रूल्स में कहीं कुछ बात डालने की जरूरत है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, टीचर्स के संबंध में काफी बात हुई है। लेकिन टीचर्स की अपनी समस्याओं के बारे में भी इस बिल में है। इसमें रिड्रैसल की व्यवस्था है। लेकिन इस समस्या को समझने का भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं फिर अपने एजुकेशन मिनिस्टर के काल

में जाती हूं। एक बार जब मैं सुबह ट्राइबल बैल्ट के एक स्कूल में पहुंची तो मैंने देखा कि एक मेल टीचर बार-बार गलत जोड़ करवा रहा था। फीमेल टीचर साथ में खड़ी हुई थी और बार-बार कह रही थी कि मंत्री महोदय आयी हुई हैं। वह इस सवाल को देख रही हैं, लेकिन वह कराता गया। काटता, फिर गलत सवाल कराता। आखिर उस टीचर ने कहा कि मंत्री जी खड़ी हैं, तो उसने कहा कि होगी मंत्री हों तो, मुझे सस्पैंड ही तो करेंगी। इतने से पैसे में तो ऐसे ही सवाल होंगे। उसने जैसे एक थप्पड़ हम पर लगाया हो, क्योंकि उस समय राजस्थान में चार सौ या साढ़े चार सौ रूपये हम लोग एक टीचर को दिया करते थे। छः महीने बाद डिपार्टमेन्ट मेरे पास आ गया और हमने उनकी तनख्वाह को बढ़ाकर 15 सौ रूपये कर दिया, लेकिन कुछ न कुछ इन्सैन्टिव्स हमें उनको देने होंगे। एक पीठ की थपथपाहट तो देनी होगी। केवल हम उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। उस टीचर ने फिर कहा कि मैं दूसरा सवाल भी गलत करूंगा क्योंकि मेरी पत्नी टीचर है और वह भी टीचर है और मैं यहां पर हूं। उसकी पत्नी एक टीचर है, जो तीन सौ किलोमीटर दूर है। इसके बाद वह मेरे पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैडम आप चाहें तो मुझे सस्पैण्ड कर दीजिए। मैंने उसको तो क्या सस्पैण्ड करना था, लेकिन वहां से मैंने एक लैसन सीखा कि जब तक हम उनकी पीठ थपथपाकर उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए रीड्रैसल में इन बातों का जिक्र जरूर होना चाहिए, खास तौर से ट्रांसफर नीति का। सरकार अपने आप में राजनीतिक कारणों से है, लेकिन यह शिक्षकों पर आघात पहुंचाती है। शिक्षकों की नियुक्ति इतनी दूर हो जाती है कि उन्हें जीप से जाना पड़ता है। इस कारण मेरे इलाके में पिछली बार 36 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। कई बार वे नौ बजे की जगह 12 बजे पहुंचती हैं और लौट आती हैं तीन बजे। वह अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाती हैं। उनके साथ न्याय करने के हमें साधन ढूंढ़ने होंगे।

आप विश्वास के साथ यह बिल लेकर आए हैं। इसमें एवैलबिलिटी, एक्सैसेबिलिटी, एक्सैप्टबिलिटी और एडॉप्टबिलिटी है। अब केवल उसे करने की जरूरत है। मैं राजीव जी की बात करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस बेबाकी के साथ स्वीकार किया और उसका हल भी निकाला। हमारी यूपीए की सरकार, जो एक संवेदनशील सरकार है, वह उन प्रश्नों को निश्चित तौर पर देखेगी। पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि 0 से 6 तक क्या होगा? लोकल टीचर्स और उनके मामलों का क्या होगा? क्वालिटी को हम एकदम से कैसे चेंज कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम आफ एजुकेशन का क्या होगा? नैबरिंग स्कूल की बात चली है तो लोग कहेंगे कि हमें फ्रीडम आफ एजुकेशन भी है, उस पर भी हमें गौर करना होगा। जैसा आपने संदेह किया कि लोग दूसरी जगह न चले जाएं। लोकल एथॉरिटी करप्शन के साधन न बन जाएं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चालीस मिनट लिए थे, अभी मेरे बीस मिनट ही हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को कन्टीन्यू कीजिए।

डॉ. गिरिजा व्यास : इन बातों के साथ मैं अपनी बात को सोमवार को फिर से रखूंगी। यह बिल सरकार लायी है, इसे भारी बहुमत से पास करके हम यहां से भेजें ताकि एक रास्ता खुले, जिसके बारे में मैं सोमवार को कहूंगी।